

**अनुदान संख्या 20 - रक्षा मंत्रालय**  
**GRANT No. 20- MINISTRY OF DEFENCE**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व :</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित -	Charged-			
मूल	Original	24,00		
		25,00	1,66	-23,34
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			20,77
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original	11245,89,00		
		11895,28,00	11458,31,26	-436,96,74
पूरक	Supplementary	649,39,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			75,70,13
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
प्रभारित	Charged-			
पूरक	Supplementary	19,00	19,00	13,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1181,72,00		
		1492,24,00	1466,88,45	-25,35,55
पूरक	Supplementary	310,52,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			17,96,55

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, ₹4.00 लाख का विनियोग मुख्य शीर्ष “2052” - सचिवालय - सामान्य सेवाएं के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the charged portion of the revenue section of the grant, appropriation of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head “2052” - “Secretariat- General Services”.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹43696.74 लाख) अगस्त, 2010, नवंबर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹64939.00 लाख के पूरक अनुदानों का 67 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹43696.74 lakhs) constituted 67 percent of the supplementary grants of ₹64939.00 lakhs obtained in August 2010, November, 2010 and March, 2011 and 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat -General Services			
मू.	O. 118689.00	122726.27	121117.32	-1608.95
पू.	S. 5335.00			
पु.	R. -1297.73			
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"			
न्याय प्रशासन	Administration of Justice			
मू.	O. 3204.00	1698.71	1658.91	-39.80
पु.	R. -1505.29			
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"			
सीमा शुल्क	Customs			
मू.	O. 88245.00	81587.12	81357.07	-230.05
पू.	S. 2.00			
पु.	R. -6659.88			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"			
पुलिस	Police			
मू.	O. 55468.00	65802.00	69866.65	+4064.65
पू.	S. 10334.00			

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष “2059”	Major Head “2059”			
लोक निर्माण कार्य	Public Works			
मू.	O.	1100.00		
			1590.00	1513.69
				-76.31
पु.	R.	490.00		
मुख्य शीर्ष “2075”	Major Head “2075”			
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services			
मू.	O.	856364.00		
			857455.00	819281.60
				-38173.40
पु.	R.	1091.00		
मुख्य शीर्ष “2216”	Major Head “2216”			
आवास	Housing			
मू.	O.	1150.00		
			1555.00	1498.73
				-56.27
पु.	R.	405.00		

(I) मुख्य शीर्ष “2052” - “सचिवालय - रक्षा विभाग” के अंतर्गत ₹8105.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹475.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹8580.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹680.05 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, विदेश मंत्रालय के माध्यम से सलाहकार (समन्वय) से लंबित बिल विलंब से प्राप्त होने और न्यायालय/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “2052” - “अन्य कार्यालय - रक्षा संपदा संगठन” के अंतर्गत ₹18903.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4860.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹23763.00 लाख कर दिया गया, तथापि जो रिक्त पदों के न भरे जाने, वेतन एवं भत्तों, संशोधित आशवासित करियर प्रोन्नति योजना और शिक्षा शुल्क के बकायों के मामलों का परिसमापन न किए जाने के कारण ₹1092.05 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under Major Head “2052” - “Secretariat - Department of Defence” - the original provision of ₹8105.00 lakhs was augmented to ₹8580.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹ 475.00 lakhs. However, there was a saving of ₹680.05 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, late receipt of pending bill from Counsellor (Coord) through MEA and non finalization of Court /CAT cases.

(II) Under Major Head “2052” - “Other Offices - Defence Estate Organisation (DEO)” - the original provision of ₹18903.00 lakhs was augmented to ₹23763.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4860.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1092.05 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and non-liquidation of cases of arrears of Pay & Allowances, Modified Assured Career Progression Scheme and Tuition Fee.

(III) मुख्य शीर्ष “2052” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) “सचिवालय - रक्षा उत्पादन विभाग” - ₹141.62 लाख की बचत (₹1788.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) “अन्य कार्यालय - रक्षा लेखा विभाग” - ₹971.29 लाख की बचत (₹89365.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम होने, अधिकारियों और स्टाफ का बारी-बारी से स्थानांतरण कम संख्या में होने, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर विदेशी दौड़ों का मूर्त रूप न लेने, मिशन एक्सेल आईटी के अंतर्गत संविदा करार के अदायगी खंड के साथ संलग्न शर्तों को विक्रेता द्वारा पूरा न किए जाने और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने और भारत संचार निगम द्वारा डब्ल्यूएनके कनेक्शन की सुपुर्दगी न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2014” - “अन्य व्यय - सशस्त्र सेना अधिकरण” के अंतर्गत ₹1545.09 लाख की बचत (₹3204.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों/स्टाफ की भर्ती नियमावली को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, आकस्मिक मदों की अधिप्राप्ति न किए जाने और मरम्मत संबंधी कार्यों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2037” - “निवारक और अन्य कार्य - तटरक्षक संगठन” के अंतर्गत ₹6889.93 लाख की बचत (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹88247.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मालदीव उच्च आयोग द्वारा बिल विलंब से प्रस्तुत किए जाने, कम चिकित्सा दावे होने, डीजीडीई द्वारा चेन्नई में भूमि को पट्टे पर लिए जाने को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, नौसेना भंडार, वस्त्र भंडार और मैस भंडार की अधिप्राप्ति के मूर्त रूप न लेने, यार्ड/बंदरगाह न्यास में गोदियों की अनुपलब्धता के कारण जहाजों और वायुयानों की मरम्मत न होने, हेलीकाप्टरों की ड्रॉई लीजिंग के मूर्त रूप न लेने, मदों की पूर्ति न होने और साफ्टवेयर परियोजना जेनमास के अंतर्गत राशि की कम अधिप्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head “2052” - savings also occurred under the following heads:-

(A) “Secretariat - Department of Defence Production (DP)”- saving of ₹141.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1788.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(B) “Other Offices - Defence Accounts Department (DAD)”- saving of ₹971.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹89365.00 lakhs) was due to less number of manpower in the department, less number of rotational transfer of officer and staff, non-materialization of foreign tours on training courses, non-fulfilment of conditions by the vendors attached with the payment clauses of contract agreement under Mission Excel IT and delay in implementation of various projects and non-delivery of WAN connection by Bharat Sanchar Nigam Limited.

(IV) Under Major Head “2014” - “Other Expenditure - Armed Forces Tribunal”- saving of ₹1545.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3204.00 lakhs) was due to non-approval of recruitment rules of officer/staff, non procurement of contingent items and non-materialisation of repair works.

(V) Under Major Head “2037”- “Preventive and Other functions - Coast Guard Organisation”- saving of ₹6889.93 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹88247.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) was due to late submission of bills by High Commission of Maldives, less medical claims, non-approval of leasing of land at Chennai by DGDE, non-materialisation of procurement of Naval Stores, Clothing stores and Mess Stores, non-availability of docks in the yard/port trust causing non-repair of Ships and Air Crafts, non-materialisation of dry leasing of helicopters, non-supply of items and less procurement of quantity under the software projects GENMAS.

(VI) मुख्य शीर्ष “2075” - “कैंटीन स्टोर विभाग - कैंटीन सेवाएं निदेशालय” के अंतर्गत ₹37082.40 लाख की बचत (₹856364.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मात्रात्मक छूट और कैंटीन व्यापार अधिशेष की निर्मुक्ति की प्रणाली पर नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक की टिप्पणी पर मामला रक्षा मंत्रालय में जाँचाधीन होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head “2075” - “Canteen Stores Department (CSD) - Directorate of Canteen Services” - saving of ₹37082.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹856364.00 lakhs) was due to observation of C & AG on the methodology of release of Quantitative Discount and Canteen Trade Surplus, the matter remains under examination in MOD.

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹99.71 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत थी।

(VII) Under one head saving of ₹99.71 lakhs occurred constituting 27 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2055” - “विशेष पुलिस - जम्मू और कश्मीर लाइट इनफैंट्री के संबंध में भुगतान किया गया प्रभार” - ₹4064.65 लाख का अधिक व्यय (₹10334.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹65802.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक ऊंचाई वाले स्थानों/फील्ड क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में यूनिटें तैनात किए जाने की वजह से वेतन और भत्तों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head “2055” - “Special Police – Charges paid in respect of J & K Light Infantry (JAKLI)” - excess of ₹4064.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹65802.00 lakhs including supplementary grant of ₹10334.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay and allowances owing to more number of Units posted in High Altitude/Field Areas.

(खा) मुख्य शीर्ष “2059” - “कार्यालय भवन - रख रखाव और मरम्मत - रक्षा लेखा विभाग” - ₹346.69 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरे भारत में विभिन्न स्टेशनों में रक्षा लेखा विभाग के कार्यालय भवनों की रख रखाव सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और रख रखाव लागत में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(B) Major Head “2059” - “Office Buildings – Maintenance and Repairs - Defence Accounts Department” - excess of ₹ 346.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards maintenance services of office buildings of DAD at various stations in all over India and increase in maintenance cost.

(गा) मुख्य शीर्ष “2216” - “सामान्य पूल आवास - रख-रखाव और मरम्मत - अन्य रख-रखाव व्यय” - ₹348.73 लाख का अधिक व्यय (₹1150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेना इंजीनियरी सेवा द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(C) Major Head “2216” - “General Pool Accommodation – Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure” - excess of ₹348.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1150.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by Military Engineering Services.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹67.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 67 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹67.00 lakhs occurred constituting 67 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, कुल बचतें (₹5.28 लाख) अगस्त, 2010 और नवंबर, 2010 में प्राप्त किए गए ₹19.00 लाख के पूरक विनियोग की 28 प्रतिशत थीं।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹5.28 lakhs) constituted 28 percent of the supplementary appropriation of ₹19.00 lakhs obtained in August, 2010 and November, 2010.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	शीर्ष Head
मुख्य शीर्ष "4047"	Major Head "4047"
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Fiscal Services
₹.	S.                      19.00                      19.00                      13.72                      -5.28

(I) "सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत ₹19.00 लाख की निधियां पूरक विनियोग प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय/पंचाट को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹5.28 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(I) Under "Customs – Coast Guard Organisation" – funds of ₹19.00 lakhs were provided by obtaining supplementary appropriation which, however, remained unutilised to the extent of ₹5.28 lakhs – due to delay in final verdict/finalization of the award by the court.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4047"	Major Head "4047"			
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Fiscal Services			
मू.	O. 110000.00	120000.00	120065.03	+65.03
पू.	S. 8716.00			
पु.	R. 1284.00			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"			
लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works			
मू.	O. 4665.00	2990.45	2406.58	-583.87
पु.	R. -1674.55			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"			
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing			
मू.	O. 2207.00	1592.00	1431.29	-160.71
पु.	R. -615.00			
मुख्य शीर्ष "4853"	Major Head "4853"			
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries			
मू.	O. 400.00	..	..	..
पु.	R. -400.00			
मुख्य शीर्ष "6853"	Major Head "6853"			
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों को कर्ज	Loans for Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries			
मू.	O. 400.00	..	..	..
पु.	R. -400.00			

कुल अनुदान      वास्तविक व्यय      बचत-  
Total                      Actual                      Saving -  
grant                      expenditure

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "7615"	Major Head "7615"			
विविध कर्ज	Miscellaneous Loans			
मू.	O.	200.00	300.00	268.44
पू.	S.	100.00		
				- 31.56

(I) ₹800.20 लाख का प्रावधान (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹800.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹800.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in March, 2011) remained wholly unutilised under three heads; of these ₹800.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4853" - "अन्य खनन और धातुकर्म उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में निवेश - मिश्र धातु निगम लिमिटेड" - ₹400.00 लाख; और

(A) Major Head "4853" - "Other Mining and Metallurgical Industries - Investment in Public Sector and other Undertakings - Mishra Dhatu Nigam Limited" - ₹400.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष "6853" - "अन्य खनन और धातुकर्म उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को कर्ज - मिश्र धातु निगम लिमिटेड" - ₹400.00 लाख।

(B) Major Head "6853" - "Other Mining and Metallurgical Industries - Loans to Public Sector and other Undertakings - Mishra Dhatu Nigam Limited" - ₹400.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान 6000 टन फोर्ज प्रेस खरीद आदेश रद्द किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to cancellation of 6000 Ton Forge Press Purchase Order.

(II) मुख्य शीर्ष "7615" - "विविध कर्ज - यूनिट द्वारा संचालित कैंटीनों को कर्ज" के अंतर्गत ₹200.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2011 में ₹99.80 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹299.80 लाख कर दिया गया, तथापि, जो प्रशासन बोर्ड द्वारा कर्ज आवेदन को समय पर अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹31.36 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "7615" - "Miscellaneous Loans - Loans for Unit Run Canteens" - the original provision of ₹200.00 lakhs was augmented to ₹299.80 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹99.80 lakhs in March, 2011 which, however, remained unutilised to the extent of ₹31.36 lakhs. - due to non-finalisation of loan application by Board of Administration in time.

(III) मुख्य शीर्ष “4059” - “कार्यालय भवन - निर्माण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “रक्षा लेखा विभाग” - ₹769.42 लाख की बचत (₹2555.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने और निर्माण कार्य शुरू किए जाने में विलंब होने, निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने और खराब मौसम परिस्थितियां होने के कारण हुई।

(खा) “सशस्त्र सेना अधिकरण” - ₹1629.91 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नया स्थापित अधिकरण होने की वजह से कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य से संबंधित औपचारिकताओं को अंतिम रूप न दिए जाने और क्षेत्रीय पीठ, मुंबई के कार्यालय भवन का परिवर्धन/परिवर्तन संबंधी कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “4216” - “सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - निर्माण” के अंतर्गत ₹790.71 लाख की बचत (₹2207.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1284.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “4047” - “सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन” के अंतर्गत मार्च 2011 में ₹8716.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1349.03 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “4059” - “कार्यालय भवन - निर्माण - रक्षा संपदा संगठन” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹140.91 लाख का अधिक व्यय (₹110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय और अन्य मनोरंजक आवास का निर्माण किए जाने के कारण हुआ

(III) Under Major Head “4059” - “Office Buildings – Construction” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Defence Accounts Department” - saving of ₹769.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 2555.00 lakhs) was due to delay in finalisation of tenders and commencement of construction works, slow progress of works and bad weather condition.

(B) “Armed Forces Tribunal” - saving of ₹1629.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-finalisation of formalities related with construction works for office buildings, being newly setup Tribunal and non-completion of addition/alteration of office building of Regional Bench, Mumbai.

(IV) Under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings – Other Housing - Construction” - saving of ₹790.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2207.00 lakhs) was due to late finalisation of tenders and slow progress of works by executing agencies.

6.(I) The above savings were partly (₹1284.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹8716.00 lakhs in March, 2011 under Major Head “4047” – “Customs – Coast Guard Organisation”. Actual excess, however, was ₹1349.03 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “4059” - “Office Buildings– Construction - Defence Estate Organisation”- excess of ₹140.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹110.00 lakhs) was due to construction of office and other recreational accommodation.